

पर्व दिनी

साक्षर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी
जिला सन्तुमानगढ़



पी.एस.डी. अधिकारी : श्री सत्यनारायण शर्मा, ए.एस.पी.

दिनांक 15/3/2025

प्रकरण पुत्र अमीलाल जाति कुमार निवासी केहरवाला खुर्द तहसील ऐलवाबाद जिला सिरसा

वादी

वचन


- कलावती पुत्री सीता देवी पत्नी अमीलाल जाति कुमार निवासी केहरवाला खुर्द तहसील ऐलवाबाद जिला सिरसा।
- अमीलाल पुत्र भगवानाराम जाति कुमार निवासी केहरवाला खुर्द तहसील ऐलवाबाद जिला सिरसा।
- मन्जू किरोडीवाल पुत्री अमीलाल पत्नी रामप्रताप किरोडीवाल जाति कुमार निवासी बार्ड नं० 42 सिलीगुडी, पश्चिमी बंगाल।
- पाना देवी पुत्री अमीलाल पत्नी पवन कुमार जाति कुमार निवासी कुशर तहसील सन्धिया जिला सिरसा।

डिक्री

दिनांक

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सजय शर्मा व प्रतिवादी वकील जयनारायण शर्मा अंतिम निपटार/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है प्रतिवादीया सं० 1 कलावती के नाम से चक नं० 3 बी. आर डवल्यू के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं० 266/178 में प्लॉट नं० 230/321 मु० 92 किलानं० 25/1/228 में नहरी आशजो का वादा खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं० 3 बी आर डवल्यू के खाता सं० 266/178 में से प्रतिवादीया सं० 1 कलावती का नाम कलमजान किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना करे।

यह पर्व डिक्री आज दिनांक 13/3/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण शर्मा) ए.एस.पी.
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी